

**मा0 निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की
269वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 का कार्यवृत्त**

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 269वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री पी0 गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

1.	श्री पी0 गुरु प्रसाद,	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अध्यक्ष
2.	डा0 बलकार सिंह,	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	डा0 नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	संयोजक
4.	श्री महेश चन्द्र पाण्डेय	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5.	श्री दीपक सिंह,	वित्त नियंत्रक ल0वि0प्रा0/प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
6.	श्री डी0वी0 सिंह,	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
7.	श्री अनिल कुमार मिश्र,	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,	सदस्य
8.	श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
9.	श्री कल्याण बनर्जी,	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
10.	श्री धीरज कुमार,	प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक उद्यम व्यूरो विभाग	सदस्य
11.	श्री दीपक सिंह,	प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य

विषय सूची

मद सं0	विषय	अनुभाग	निर्णय
269/1	परिषद की 268वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 268 वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
269/2	परिषद की 268वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2024 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 268वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2024 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित प्रस्तावों में कार्यवाही पूर्ण नहीं है, उन्हें आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। मद संख्या-268/5 - परिषद योजनाओं में अब तक कितने भवनों की स्ट्रक्चरल आडिट कराई गयी तथा आवास विकास

16

1

2

द्वारा बनाई गयी इमारतों में स्ट्रक्चर आडिट की क्या व्यवस्था है, से भी अवगत कराया जाय।

मद संख्या-268/8- धारा-28 के गजट प्रकाशन न होने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या-268/10- प्रकरण में अवगत कराया गया कि सेवक सहकारी आवास समिति द्वारा परिषद की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर सहमति दी गयी। अध्यावधिक स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाय।

मद संख्या-268/12- सेवारत/सेवानिवृत्त कितने सैनिकों को भूमि आवंटित की गयी है। कितने से भूमि खाली करायी गयी है जो बचे हैं उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है। आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या-268/14 - अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय। तब तक इसको लम्बित माना जाय।

मद संख्या-268/16- वर्तमान स्थिति से आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाय। तब तक अनिस्तारित माना जाय।

मद संख्या-268/22- अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाय। तब इसको लम्बित(पेंडिंग) माना जाय।

मद संख्या-268/26- वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाय। आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय। तब तक इसको अनिस्तारित माना जाय।

मद संख्या-268/30- पुलिस विभाग को रजिस्ट्री के संबंध में अवगत कराये। तब

			तक अनिस्तारित रखा जाय।
269/3	वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैलेन्सशीट/वार्षिक लेखों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	वित्त एवं लेखानुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। महालेखाकार से सम्बन्धित आडिट पैरा के सम्बन्ध में कार्यवाही कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
269/4	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद हेतु विज्ञापन संख्या-04 परीक्षा/2018 के अन्तर्गत चयनित अवर अभियन्ता में से ऐसे अभियन्ता जिनका डिप्लोमा विद्युत/यांत्रिक में है, परन्तु चयन सिविल संवर्ग में होने के दृष्टिगत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास हेतु चयनित अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के 09 अभ्यर्थियों से नीचे पदस्थापित किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आरक्षण की स्थिति भी देख ली जाय एवं आवश्यकतानुसार नये अधियाचन में उसे पूर्ण किया जाय।
269/5	परिषद कार्मिकों/परिषद के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-07-2024 से 53% दर मंहगाई भत्ता/राहत अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद वित्तीय भार वहन करने में सक्षम है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के प्रतिनिधि द्वारा मंतव्य दिया गया कि प्रस्ताव को स्वीकृति के उपरान्त सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को भेजा जाना चाहिए। आवास विकास के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि 2015 के बाद से मा0 परिषद मण्डल के माध्यम से ही इस प्रकार का निर्णय लिया जाता रहा है तदनुसार प्रस्ताव अनुमोदित।
269/6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियम-1980 (यथासंशोधित) के भाग-3 के नियम-5(क) के प्रस्तर-5 (कनिष्ठ सहायक) सामान्य शाखा के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर 65	प्रशासन	अवगत कराया गया है कि आवास विकास परिषद के अधिनियम की धारा-95(F) के अनुसार परिषद निर्णय लेने हेतु सक्षम है। अतः सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित।

	प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अनुभव के आधार पर अंक देकर वरीयता दिये जाने के प्राविधान को विलोपित किये जाने के संबंध में।		
269/7	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में विधि परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
269/8	परिषद की गाजियाबाद एवं लखनऊ परिक्षेत्र में स्थित 05 (पांच) एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों को टू बिड सिस्टम निविदा/नीलामी के माध्यम से आवंटन के स्थान पर समस्त योजनाओं में रिक्त 05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों को खूली ई-नीलामी के माध्यम से निस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आगामी बोर्ड बैठक में शैक्षणिक भूखण्डों के सन्दर्भ में भी आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
269/9	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-3/जी0एच0-04 पर समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	भूखण्ड संख्या-3/जी0एच0-04 के सम्बन्ध में समयवृद्धि शुल्क भूखण्ड के कुल मूल्य के 05 वर्ष के पश्चात 06 वर्ष में 01% 07वें वर्ष 02%, 08वें वर्ष 03% की व्यवस्था होने के दृष्टिगत तत्पश्चात 09 वर्ष में 04%, 10 वर्ष में 05%, 11वें वर्ष में 06% एवं तदनुसार प्रतिवर्ष 01% की वृद्धि जोड़ते हुये प्रस्ताव अनुमोदित।
269/10	परिषद की विभिन्न योजनाओं में नीलामी से निस्तारण किए जाने योग्य सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु ई-नीलामी	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	HDFC Bank Ltd के माध्यम से कराए जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।		
269/11	श्री राजीव अग्रवाल, अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध गठित विभागीय जांच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत, "सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351-ए के अन्तर्गत उनकी पेंशन से 03 प्रतिशत कटौती 03 वर्षों तक किये जाने का दण्ड दिये जाने हेतु प्रस्ताव।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
269/12	श्री सत्येन्द्र कुमार कुन्दन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध गठित विभागीय जांच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत, "सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351-ए के अन्तर्गत उनकी पेंशन से 03 प्रतिशत कटौती 03 वर्षों तक किये जाने का दण्ड दिये जाने हेतु प्रस्ताव।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
269/13	श्री आर०एल० यादव, प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध गठित विभागीय जांच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत, "सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351-ए के अन्तर्गत उनकी पेंशन से 03 प्रतिशत कटौती 03 वर्षों तक किये जाने का दण्ड दिये जाने हेतु प्रस्ताव।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
269/14	श्री राजीव कुमार, सेवानिवृत्त प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता के	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	विरुद्ध गठित विभागीय जांच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत, "सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351-ए के अन्तर्गत उनकी पेंशन से 03 प्रतिशत कटौती 03 वर्षों तक किये जाने का दण्ड दिये जाने हेतु प्रस्ताव।		
269/15	श्री प्रमोद कुमार, अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध आदेश संख्या-1042/ अनुशा0-05/2023 (3855) भाग-02 दिनांक 15-02-2023 द्वारा गठित विभागीय जांच को समाप्त किये जाने का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
269/16	परिषद की यू0पी0आई0एल0 योजना, ऐशबाग लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी0पी0-01 व सी0पी0-02 पर सम्मिलित रूप से शैक्षिक उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। संस्था के पूर्व फाउण्डर मैनेजर द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र/शपथ-पत्र के अनुसार संस्था के वर्तमान मैनेजर से भी प्रार्थना-पत्र/शपथ-पत्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाय।
269/17	परिषद की भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, अयोध्या (ग्रीनफील्ड टाउनशिप) व पूरक प्रथम योजना, अयोध्या के अन्तर्गत अयोध्या मास्टर प्लान-2031 में निर्धारित भू-उपयोग को नियोजन के दृष्टिगत योजना में अन्यत्र समाहित करने हेतु प्रस्ताव परिषद निदेशक मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। संगत शासनादेशों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाय।
269/18	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-15ए में स्थित कम्युनिटी सेंटर भूखण्ड संख्या-	वास्तुकला एवं नियोजन	अवगत कराया गया है कि वर्तमान भूखण्डों का प्रस्तावित उपयोग ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त

	15/सी0सी0-1 (कार्नर) क्षेत्रफल 2992.0 वर्ग मीटर को आवासीय भूखण्डों के ले-आउट में परिवर्तन हेतु शासनादेश संख्या-2438 दिनांक-13-10-1998 की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।		प्रस्ताव अनुमोदित।
269/19	भूमि अर्जन अनुभाग में भूमि अधिग्रहण हेतु सेवा निवृत्त राजस्व डिप्टी कलेक्टर को एक वर्ष हेतु मानदेय पर रखे जाने हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
269/20	गाजीपुर-मऊ राज्य मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजीपुर का धारा-28 का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि मास्टर प्लान में परियोजना किस रूप में परिभाषित है। डिमांड का भी आकलन कर लिया जाय। फनल जोन के बारे में भी अनापत्ति प्राप्त की जाय।
269/21	जनपद-प्रतापगढ़ में नई आवासीय भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना कटरा रोड, प्रतापगढ़ की स्थल चयन समिति का प्रस्ताव स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि मास्टर प्लान में परियोजना किस रूप में परिभाषित है। डिमांड का भी आकलन कर लिया जाय। फनल जोन के बारे में भी अनापत्ति प्राप्त की जाय। सचिव, आवास विकास परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि लिपिकीय त्रुटिवश भूमि किसानों से प्राप्त किये जाने हेतु आपसी सहमति, लैंड पूलिंग एवं अनिवार्य अभिनिर्णय से प्राप्त किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः तीनों माध्यम से भूमि प्राप्त किया जाना स्वीकृत।
269/22	मऊ जनपद में प्रस्तावित गोरखपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना की धारा-28 के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि मास्टर प्लान में परियोजना किस रूप में परिभाषित है। डिमांड का भी आकलन कर लिया जाय। फनल जोन के बारे में भी अनापत्ति प्राप्त की जाय।
269/23	जनपद- प्रयागराज- प्रतापगढ़-	भूमि अर्जन	

	मऊ-गाजीपुर-मेरठ-मुजफ्फर नगर में परिषद द्वारा प्रतावित नई योजनाओं को संचालित किये जाने हेतु एक-एक कानूनगो, एक-एक लेखपाल एवं एक-एक कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रत्येक योजना में रखे जाने के सम्बन्ध में।		सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। चयन के समय इनकी सामान्य ख्याति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाय। यह अधिकारी/कर्मचारी 01 वर्ष के लिए रखे जायेंगे।
269/24	परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा में स्थित खसरा संख्या-720 रकबा 2 बीघा (4610.00) वर्ग मी० भूमि को पुष्पांजलि गार्डनिया के पक्ष में वर्तमान भूमिदर पर आवंटन के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय। इस आशय का शपथ-पत्र भी सम्बन्धित कृषक एवं क्रेता से प्राप्त किया जाय कि मा० न्यायालय में चल रहे वाद वापस ले लिये जायेंगे। काश्तकार द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाय।
269/25	परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या-1652 में नियोजन समिति द्वारा अर्जनमुक्त 0.025 हे० भूमि को अन्यत्र दिये जाने के सम्बन्ध में	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
269/26	बेतियाहाता दक्षिणी भूमि विकास एवं गृहस्थान, गोरखपुर में 1.90 एकड़ अर्जन मुक्त भूमि के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
269/27	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में मुख्य अभियन्ता के स्वीकृत एक पद के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के 02 अन्य पद सृजित करने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त इस शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित कि इन पदों के सापेक्ष अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के पदों का परीक्षण करते हुये प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।
269/28	राजाजीपुरम योजना, लखनऊ के सेक्टर-6 में स्थित एवं	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह

	परिषद द्वारा संचालित मिनी इण्डोर स्टेडियम के संचालन व रख-रखाव हेतु निजी संस्थाओं को वार्षिक किराया लेते हुए न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि एवं अनुबन्धित अवधि के उपरान्त 05-05 वर्ष की दो समयवृद्धि के साथ किराये पर दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।		सुनिश्चित किया जायेगा कि वैवाहिक आदि कार्यक्रमों के कारण खेल की गतिविधिया प्रभावित न हो तथा खिलाड़ियों से अनुमन्य शुल्क ही लिया जाय। संचालित खेल एवं अन्य गतिविधियों के सर्विस बेन्च मार्क भी तय किये जाये।
269/29	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-7 में अर्द्धनिर्मित 1856 नग बहुमंजिले भवनों के निस्तारण का प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित। परिषद नियमानुसार ई-नीलामी के माध्यम से कार्यवाही की जाय। वर्ष 2017 में मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया जाय तथा जिस दर पर भूमि आफर की जा रही है उसके सन्दर्भ में आवास आयुक्त अपने स्तर पर संतुष्ट हो जाये। प्रस्ताव उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमोदित।
69/30	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-7 व 8 के नियोजन में टी0ओ0डी0 नीति के अनुसार मिश्रित उपयोग के भूखण्डों को बल्क सेल से निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	पूर्व प्रस्ताव बोर्ड बैठक सं0-268 मद सं0-15 पर लिया गया निर्णय निरस्त करते हुए सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आंशिक रूप से अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव के बिन्दु-क, ख स्वीकृत। अन्य के सन्दर्भ में आगामी बोर्ड बैठक में लेआउट तैयार करके विस्तृत टिप्पणी के साथ प्रस्तुत किया जाय।
269/31	ई0पी0सी0 मोड़ में परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ में 10 हजार व्यक्तियों हेतु	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	एक्जीवेशन-कम-कंवेन्शन सेन्टर के निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में।		
269/32	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में 13 नग सहकारी आवास समितियों की समायोजित भूमि के सम्बन्ध में गठित समिति की जाँच आख्या दिनांक 19-09-2024 एवं 23-12-2024 की रिपोर्ट मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
269/33	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय।		



अनुमोदित,


(पी0गुरु प्रसाद)
अध्यक्ष